संचिका संख्या–22/अनु0–05/2014 सा0प्र0....................../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, वैशाली।
जिला पदाधिकारी, पू0 चम्पारण, मोतिहारी।
जिला पदाधिकारी, सुपौल।
जिला पदाधिकारी, गया।

पटना–15, दिनांक.......................नवम्बर, 2014

विषयः– अनुकम्पा नियुक्ति के प्रसंग में याचित मार्गदर्शन।

प्रसंगः– जिला पदाधिकारी वैशाली का पत्रांक 646 दिनांक–30.07.2014 एवं पत्रांक 647 दिनांक–30.07.2014 .
जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का पत्रांक 183 दिनांक–17.09.2014 .
जिला पदाधिकारी, सुपौल का पत्रांक 1148–2/ स्था0, दिनांक–10.09.2014 .
जिला पदाधिकारी, गया का पत्रांक XXI–1/ 14–1378 दिनांक–06.08.2014 .

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के तहत याचित मार्गदर्शन निम्नानुसार देने का निदेश दिया गया हैः–

जिज्ञासा	मार्गदर्शन
(क) मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों में से किसी के नियोजित रहने की स्थिति में अन्य आश्रितों में से किसी को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया जा सकता है अथवा नहीं ?	सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत पत्रांक–1781 दिनांक–10.05.2010 के तहत परिचारित माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–6668/2003 तथा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–7044/2003 में पारित समेकित आदेश दिनांक–27.07. 2004 के आलोक में सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों में से किसी के gainfully नियोजित होने की स्थिति में उसके अन्य आश्रितों के साथ रहने अन्यथा नहीं रहने के बावजूद अन्य आश्रितों में से किसी को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है। Gainfully नियोजित रहने से तात्पर्य ऐसे नियोजन से है जिससे मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों का भरण पोषण हो सके।
(ख) लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में।	लापता सरकारी सेवकों के अश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुमान्यता इस विभाग से निर्गत परिपत्र संख्या–7146 दिनांक–31.10.2008 के तहत की गई है।

(ग) अष्टम उत्तीर्ण महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की जा सकती है अथवा नहीं ?	सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवको के आश्रितों की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निर्णय इस विभाग से निर्गत परिपत्र संख्या–10073 दिनांक–18.12.2008 के आलोक में लिया जाना है।
(घ) नेपाल द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र तथा नेपाली नागरिक को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिये जाने के संबंध में।	नेपाली नागरिक को सरकारी सेवा में नियुक्ति की अनुमान्यता नियुक्ति विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) से निर्गत प्ररिपत्र संख्या 7312 दिनांक–30.05.1966 की कंडिका 03 के आलोक में की गई है। नेपाल द्वारा निर्गत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन नेपाल के संबंधित संस्थाओं से तथा नेपाल द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की अनुमान्यता की सम्पुष्टि शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त की जा सकती है।
(ड़) अनुकम्पा के आधार पर चौकीदार / दफादार के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता के संबंध में।	चौकीदार/दफादार का पद समूह 'घ' का पद है अतः उनकी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निर्णय बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्ते) संशोधन नियमावली, 2012 के आलोक में लिया जाना है। चूँकि, चौकीदार/दफादार का प्रशासी विभाग गृह (आरक्षी) विभाग है, अतः इस संबंध में मार्गदर्शन उक्त विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

नोटः– सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत सभी संकल्पों/परिपत्रों/अनुदेशों की प्रतियॉ इस विभाग के वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(केशव कुमार सिंह,)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–22/अनु0–05/2014 सा0प्र0 15783/ पटना–15, दिनांक 19.11.2014

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/2014

सरकार के अपर सचिव।